No.14013/02/2021/CFT
Government of India
Ministry of Home Affairs
(CTCR Division/CFT Cell)

*****

Kartavya Bhawan-3, New Delhi.
Dated: 8th July, 2026.

To,

The Nodal Officers all States/Union Territories and Agencies.
(Under the UAPA,1967)

Subject: Designation of 23 individuals under clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act,1967 and listed in the Fourth Schedule of the Act-reg.

Sir/Madam,

Kindly refer to the Gazette Notification No. S.O. 3623(E) to 3645 (E) dated 04th July, 2026 (Copies enclosed) in respect of 23 individuals which have been declared as "Terrorist" and has been listed in the Fourth Schedule of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The copies of Gazette Notification are being forwarded in pursuance of the instructions contained in this Ministry's Order dated 02.02.2021, as amended, regarding the procedure for implementation of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act,1967 for kind information and necessary action please.

2. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

8/7/2026

(Mrutunjaya Atibudhi)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele:011-24010205

Encl: As above.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274093
CG-DL-E-04072026-274093

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3486] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 2026/आषाढ 13, 1948
No. 3486] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 2026/ASHADHA 13, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3623(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और, 'मसूद इलियास कश्मीरी' उर्फ़ 'मुफ्ती मसूद इलियास' उर्फ़ 'मसूद इलियास' उर्फ़ 'अबु मोहम्मद' उर्फ़ 'एम. मसूद इलियास', पुत्र सरदार मोहम्मद इलियास खान, आयु- 41 वर्ष (लगभग), जिसका वर्तमान पता रावलकोट, जिला पुंछ का वह भाग जो इस समय पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में है, जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त 'मसूद इलियास कश्मीरी' उर्फ़ 'मुफ्ती मसूद इलियास' उर्फ़ 'मसूद इलियास' उर्फ़ 'अबु मोहम्मद' उर्फ़ 'एम. मसूद इलियास' देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वयित करने के आशय से, हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराने और

सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन कूटबद्ध एप्लीकेशनों द्वारा युवाओं को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में भर्ती कराने सहित व्यापक आतंकी क्रियाकलापों को अंजाम देने में सम्मिलित है;

और, उक्त 'मसूद इलियास कश्मीरी' उर्फ़ 'मुफ्ती मसूद इलियास' उर्फ़ 'मसूद इलियास' उर्फ़ 'अबु मोहम्मद' उर्फ़ 'एम. मसूद इलियास' विभिन्न आतंकी हमलों में भी सम्मिलित रह चुका है और इन आतंकी घटनाओं में कई व्यक्तियों की मृत्यु और घायल करने के लिए उत्तरदायी है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'मसूद इलियास कश्मीरी' उर्फ़ 'मुफ्ती मसूद इलियास' उर्फ़ 'मसूद इलियास' उर्फ़ 'अबु मोहम्मद' उर्फ़ 'एम. मसूद इलियास' आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त 'मसूद इलियास कश्मीरी' उर्फ़ 'मुफ्ती मसूद इलियास' उर्फ़ 'मसूद इलियास' उर्फ़ 'अबु मोहम्मद' उर्फ़ 'एम. मसूद इलियास' को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात:

"58. मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ़ मुफ्ती मसूद इलियास उर्फ़ मसूद इलियास उर्फ़ अबु मोहम्मद उर्फ़ एम. मसूद इलियास"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3623(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Masood Ilyas Kashmiri @ Mufti Masood Ilyas @ Masood Ilyas @ Abu Mohammad @ M. Masood Ilyas son of Sardar Mohammad Ilyas Khan, 41 years of age (approx.) having present residence at Rawalkot, a part of district Poonch, which is currently in Pakistan Occupied Jammu and Kashmir, belongs to Jaish-E-Mohammed and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And, whereas, the said Masood Ilyas Kashmiri is a senior Jaish-E-Mohammed functionary and is involved in carrying out a wide range of terrorist activities against the country including recruiting youth in the terrorist organization, Jaish-E-Mohammed, imparting training to them and then facilitating the infiltration of the terrorists into the country;

And, whereas, the said Masood Ilyas Kashmiri is involved in the attack by the terrorists of Jaish-E-Mohammed on the security forces at Sunjwan, Jammu on 22nd April, 2022;

And, whereas, the said Masood Ilyas Kashmiri has also been involved in various terror attacks and responsible for causing death and injuries to a number of persons in these terror incidents;

And, whereas, the Central Government believes that Masood Ilyas Kashmiri @ Mufti Masood Ilyas @ Masood Ilyas @ Abu Mohammad @ M. Masood Ilyas is involved in terrorism and the said Masood Ilyas Kashmiri @ Mufti Masood Ilyas @ Masood Ilyas @ Abu Mohammad @ M. Masood Ilyas is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 57 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"58. Masood Ilyas Kashmiri @ Mufti Masood Ilyas @ Masood Ilyas @ Abu Mohammad @ M. Masood Ilyas."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3624(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और, 'मोहम्मद मुसादिक' उर्फ़ 'डॉक्टर' उर्फ़ 'अब्दुल मनन' उर्फ़ 'सज्जाद' उर्फ़ 'हमज़ा' उर्फ़ 'वाहिद ख़ान' पुत्र मुहम्मद नवाज़, आयु- 38 वर्ष (लगभग) जिसका वर्तमान पता शकरगढ़, जिला नरोवल, पाकिस्तान है, जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त 'मोहम्मद मुसादिक' जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ के जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य संचालकों में से एक है और तारीख 22.04.2022 को सुन्जवान, जम्मू में सुरक्षा बलों पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी द्वारा किए गए हमले में सम्मिलित पाया गया है;

और, उक्त 'मोहम्मद मुसादिक' देश के विरुद्ध आतंकवादी क्रियाकलापों की एक विस्तृत शृंखला को अंजाम देने में सम्मिलित है, जिसमें सीमा पर से ड्रोन के माध्यम से हथियार, गोला-बारूद की आपूर्ति, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों की योजना बनाना और आतंकवादी क्रियाकलापों के क्षेत्रों को और व्यापक बनाना सम्मिलित है, जो आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में युवाओं की भर्ती के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'मोहम्मद मुसादिक' उर्फ़ 'डॉक्टर' उर्फ़ 'अब्दुल मनन' उर्फ़ 'सज्जाद' उर्फ़ 'हमज़ा' उर्फ़ 'वाहिद ख़ान' आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त 'मोहम्मद मुसादिक' उर्फ़ 'डॉक्टर' उर्फ़ 'अब्दुल मनन' उर्फ़ 'सज्जाद' उर्फ़ 'हमज़ा' उर्फ़ 'वाहिद ख़ान' को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 58 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"59. मोहम्मद मुसादिक उर्फ़ डॉक्टर उर्फ़ अब्दुल मनन उर्फ़ सज्जाद उर्फ़ हमज़ा उर्फ़ वाहिद ख़ान"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3624(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Mohammad Mussadiq @ Doctor @ Abdul Manan @ Sajjad @ Hamza @ Wahid Khan son of Muhammad Nawaz, 38 years of age (approx.) having present residence at Shakargarh, district Narowal, Pakistan, belongs to Jaish-E-Mohammed and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And, whereas, the said Mohammad Mussadiq is one of the main handlers of Jaish-E-Mohammed infiltration of Pakistani terrorists into Jammu and Kashmir and is involved in the attack by the terrorist of Jaish-E-Mohammad on the security forces at Sunjwan, Jammu on 22nd April, 2022;

And, whereas, the said Mohammad Mussadiq is involved in carrying out wide range of terrorist activities against the country including supplying of arms and ammunition through drones across the border, planning of terror attacks in Jammu and Kashmir and to further widen the areas of terror activities is also involved in handling a team of Jaish-E-Mohammed cyber players who use various social media platforms for recruiting youth in terrorist organisation Jaish-E-Mohammed;

And, whereas, the Central Government believes that Mohammad Mussadiq @ Doctor @ Abdul Manan @ Sajjad @ Hamza @ Wahid Khan is involved in terrorism and the said Mohammad Mussadiq @ Doctor @ Abdul Manan @ Sajjad @ Hamza @ Wahid Khan is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 58 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"59. Mohammad Mussadiq @ Doctor @ Abdul Manan @ Sajjad @ Hamza @ Wahid Khan."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3625(अ).— विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और, 'मुफ्ती मोहम्मद असग़र ख़ान' उर्फ़ 'अबू साद' उर्फ़ 'साद जिमी', पुत्र नूर अहमद खान, आयु- 52 वर्ष (लगभग), जिसका वर्तमान पता अब्बासपुर, जिला पुंछ का वह भाग जो इस समय पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में है, जैश-

ए-मोहम्मद से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त मुफ्ती मुहम्मद असग़र ख़ान जम्मू और कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों का लॉन्चिंग कमांडर है;

और, उक्त मुफ्ती मुहम्मद असग़र ख़ान, तारीख 29.11.2016 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा जम्मू के नगरोटा स्थित भारतीय सेना शिविर पर किए गए हमले के सूत्रधारों में से एक था;

और, उक्त मुफ्ती मुहम्मद असग़र ख़ान आतंकवादियों को प्रशिक्षण, धन और अन्य रसद प्रदान करने सहित देश के विरुद्ध व्यापक आतंकवादी क्रियाकलापों को अंजाम देने में सम्मिलित है;

और, उक्त मुफ्ती मोहम्मद असग़र ख़ान देश में विभिन्न आतंकी हमलों में सम्मिलित रहा है और इन आतंकवादी घटनाओं में कई व्यक्तियों की मृत्यु और उन्हे घायल करने के लिए उत्तरदायी है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'मुफ्ती मोहम्मद असग़र ख़ान' उर्फ़ 'अबू साद' उर्फ़ 'साद जिमी' आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त 'मुफ्ती मोहम्मद असग़र ख़ान' उर्फ़ 'अबू साद' उर्फ़ 'साद जिमी' को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"60. मुफ्ती मोहम्मद असग़र ख़ान उर्फ़ अबू साद उर्फ़ साद जिमी"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3625(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, the said Mufti Muhammad Asghar Khan @ Abu Saad @ Saad Jimi son of Noor Ahmed Khan, 52 years of age (approx.) having present residence at Abbaspur, a part of district Poonch, which is currently in Pakistan Occupied Jammu and Kashmir, belongs to Jaish-E-Mohammed and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And, whereas, the said Mufti Muhammad Asghar Khan is a launching commander of terrorists of Jaish-E-Mohammed in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the said Mufti Muhammad Asghar Khan was one of the masterminds of the attack on the Indian Army Camp at Nagrota, Jammu by the terrorists of Jaish-E-Mohammad on 29th November, 2016;

And, whereas, the said Mufti Muhammad Asghar Khan is involved in carrying out wide range of terrorist activities against the country including providing training, funds and other logistics to terrorists;

And, whereas, the said Mufti Muhammad Asghar Khan has been involved in various terror attacks in the country and responsible for causing death and injuries to a number of persons in these terror incidents;

And, whereas, the Central Government believes that Mufti Muhammad Asghar Khan @ Abu Saad @ Saad Jimi is involved in terrorism and the said Mufti Muhammad Asghar Khan @ Abu Saad @ Saad Jimi is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 59 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"60. Mufti Muhammad Asghar Khan @ Abu Saad @ Saad Jimi."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3626(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और, 'हाफ़िज़ अब्दुल शकूर' उर्फ़ 'क़ारी जर्रार', पुत्र सूफी अब्दुल करीम, आयु- 56 वर्ष (लगभग) जिसका स्थाई पता कराची, रावलपिंडी, पकिस्तान और वर्तमान पता कोटली, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में है, जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त हाफ़िज़ अब्दुल शकूर जम्मू और कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों का लॉन्चिंग कमांडर है;

और, उक्त हाफ़िज़ अब्दुल शकूर, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा तारीख 29.11.2016 को जम्मू के नगरोटा स्थित भारतीय सेना शिविर पर किए गए हमले में सम्मिलित है;

और, उक्त हाफ़िज़ अब्दुल शकूर देश के खिलाफ व्यापक स्तर पर आतंकवादी क्रियाकलापों को अंजाम देने में सम्मिलित है, जैसे की जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों की भर्ती, प्रशिक्षण, प्रेरणा, जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराना;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'हाफ़िज़ अब्दुल शकूर' उर्फ़ 'क़ारी जर्रार' आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त 'हाफ़िज़ अब्दुल शकूर' उर्फ़ 'क़ारी जर्रार' को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"61. हाफ़िज़ अब्दुल शकूर उर्फ़ क़ारी ज़र्रार"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3626(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Hafiz Abdul Shakoor @ Qari Zarrar son of Sufi Abdul Karim, 56 years of age (approx.) having permanent address at Karachi, Rawalpindi, Pakistan and present residence at Kotli in Pakistan Occupied Jammu and Kashmir, belongs to Jaish-E-Mohammed, and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And, whereas, the said Hafiz Abdul Shakoor is a launching commander of terrorists of Jaish-E-Mohammed in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the said Hafiz Abdul Shakoor is involved in the attack by the terrorists of Jaish-E-Mohammad on the Indian Army Camp at Nagrota, Jammu on 29th November, 2016;

And, whereas, Hafiz Abdul Shakoor is involved in carrying out wide range of terrorist activities against the country namely recruitment, training, motivating, infiltrating Jaish-e-Mohammed cadres into Jammu and Kashmir and providing arms and ammunition to the active terrorists in Jammu and Kashmir for carrying out terror attacks;

And, whereas, the Central Government believes that Hafiz Abdul Shakoor @ Qari Zarrar is involved in terrorism and the said Hafiz Abdul Shakoor @ Qari Zarrar is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 60 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"61. Hafiz Abdul Shakoor @ Qari Zarrar."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3627(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और, 'अब्दुल्ला जेहादी' उर्फ़ 'शाहनवाज़' उर्फ़ 'अल हिजामा पुत्र मोहम्मद इकबाल ख़ान, आयु- 47 वर्ष (लगभग) जिसका वर्तमान पता कुंडलशाही, जिला नीलम, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में है, जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त अब्दुल्ला जेहादी जम्मू और कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को सुविधा प्रदान करने/ लॉन्च करने में सम्मिलित है;

और, उक्त अब्दुल्ला जेहादी तारीख 29.11.2016 को जम्मू के नगरोटा स्थित भारतीय सेना शिविर पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में सम्मिलित है;

और, उक्त अब्दुल्ला जेहादी देश के विरुद्ध कई प्रकार की आतंकवादी क्रियाकलापों को अंजाम देने में सम्मिलित है, जिसमे जैश-ए-मोहम्मद के कई शिविरों को चलाना और देश में आतंकवादी हमलों की योजना बनाना सम्मिलित है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'अब्दुल्ला जेहादी' उर्फ़ 'शाहनवाज़' उर्फ़ 'अल हिजामा आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त 'अब्दुल्ला जेहादी' उर्फ़ 'शाहनवाज़' उर्फ़ 'अल हिजामा को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"62. अब्दुल्ला जेहादी उर्फ़ शाहनवाज़ उर्फ़ अल हिजामा"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3627(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Abdullah Jehadi @ Shah Nawaz @ Al Hijama son of Muhammad Iqbal Khan, 47 years of age (approx.) having present residence at Kundalshahi, district Neelum in Pakistan Occupied Jammu and Kashmir, belongs to Jaish-E-Mohammed and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And, whereas, the said Abdullah Jehadi is involved in facilitating/ launching of Jaish-E-Mohammed terrorists in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the said Abdullah Jehadi is involved in the attack by the terrorists of Jaish-E-Muhammed on the Indian Army camp at Nagrota, Jammu on 29th November, 2016;

And, whereas, the said Abdullah Jehadi is involved in carrying out a wide range of terrorist activities against the country including handling multiple camps of Jaish-E-Mohammed and orchestrating terror attacks in the country;

And, whereas, the Central Government believes that Abdullah Jehadi @ Shah Nawaz @ Al Hijama is involved in terrorism and the said Abdullah Jehadi @ Shah Nawaz @ Al Hijama is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 61 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"62. Abdullah Jehadi @ Shah Nawaz @ Al Hijama."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3628(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और, 'फिरदौस अहमद भट' पुत्र अब्दुल सलाम भट (मृत) तथा सलीमा बानो, आयु- 33 वर्ष (लगभग) जिसका स्थाई पता- मकान संख्या 26, गाँव ठोकरपुरा, कैमोह, कुलगाम, जम्मू और कश्मीर तथा वर्तमान पता पाकिस्तान में है, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त फिरदौस अहमद भट लश्कर-ए- तैयबा के आतंकवादियों का लॉन्चिंग कमांडर है और देश के विरुद्ध व्यापक स्तर पर आतंकवादी क्रियाकलापों को अंजाम देने में सम्मिलित है, जिसमे हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति, विदेशी आतंकवादियों के लिए सीमा पार से भारत में सुरक्षित मार्ग का प्रबंधन करना सम्मिलित है;

और, उक्त फिरदौस अहमद भट देश में आतंकवादी हमलों में भी सम्मिलित रहा है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि फिरदौस अहमद भट आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त फिरदौस अहमद भट को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"63. फिरदौस अहमद भट"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3628(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Firdous Ahmad Bhat son of Late Abdul Salam Bhat and Saleema Bano, 33 years of age (approx.) having present residence in Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Firdous Ahmad Bhat is a launching commander of terrorists of Lashkar-e-Taiba in Jammu and Kashmir and is involved in carrying out wide range of terrorist activities including supplying of arms and ammunition, managing safe passage for foreign terrorists across the border into India;

And, whereas, the said Firdous Ahmad Bhat has also been involved in terror attacks in the country;

And, whereas, the Central Government believes that Firdous Ahmad Bhat is involved in terrorism and the said Firdous Ahmad Bhat is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 62 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:

"63. Firdous Ahmad Bhat."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3629(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, 'गुलाम फरीद' उर्फ़ 'गुलशन कुमार' उर्फ़ 'फरीद' पुत्र मो. शफ़ी जाट, उम्र 42 वर्ष (लगभग), जिसका पता बैडिंग, भिम्बेर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त 'गुलाम फरीद' उर्फ़ 'गुलशन कुमार' उर्फ़ 'फरीद' देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, देश में विधिविरुद्ध निर्वासन तथा अन्य आतंकियों को हथियार एवं गोला बारूद उपलब्ध कराने में संलिप्त है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'गुलाम फरीद' उर्फ़ 'गुलशन कुमार' उर्फ़ 'फरीद' आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त 'गुलाम फरीद' उर्फ़ 'गुलशन कुमार' उर्फ़ 'फरीद' को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"64. गुलाम फरीद @ गुलशन कुमार @ फरीद"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3629(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Ghulam Fareed @ Gulshan Kumar @ Fareed s/o Mohd. Shafi Jat, 42 years of age (approx.), having present residence at Bading, Bimber, in Pakistan Occupied Jammu and Kashmir, belongs to Jaish-E-Mohammed and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And, whereas, the said Ghulam Farid @ Gulshan Kumar @ Farid is involved in unlawful exile in the country and providing arms and ammunition to other terrorists with the intention of carrying out terrorist activities in the country;

And, whereas, the Central Government believes that Ghulam Fareed @ Gulshan Kumar @ Fareed is involved in terrorism and the said Ghulam Fareed @ Gulshan Kumar @ Fareed is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 63 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"64. Ghulam Fareed @ Gulshan Kumar @ Fareed."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3630(अ).— विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, 'हारून राशिद गनाई' उर्फ़ 'शुनू' पुत्र अब्दुल राशिद गनाई, उम्र 36 वर्ष (लगभग), जिसका पता हसनपोरा तवेला, बिजबेहरा, अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर है और जो वर्तमान में पाकिस्तान में निवास कर रहा है, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त 'हारून राशिद गनाई' उर्फ़ 'शुनू' देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वयित करने के आशय से, देश में हथियार, गोला-बारूद आदि भेजने तथा युवाओं को आतंकवादी काडरों में भर्ती करने में संलिप्त है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'हारून राशिद गनाई' उर्फ़ 'शुनू' आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त 'हारून राशिद गनाई' उर्फ़ 'शुनू' को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"65. हारून राशिद गनाई @ शुनू"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3630(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Haroon Rashid Ganai @ Shunoo s/o Abdul Rashid Ganai, 36 years of age (approx.), having residence at Hassanpora Tawela, Bijbehara, Anantnag, Jammu and Kashmir and presently residing in Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Haroon Rashid Ganai @ Shunoo is engaged in sending arms, ammunition etc to the country and recruiting youths into terrorist cadres with the intention of carrying out terrorist activities in the country;

And, whereas, the Central Government believes that Haroon Rashid Ganai @ Shunoo is involved in terrorism and the said Haroon Rashid Ganai @ Shunoo is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 64 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"65. Haroon Rashid Ganai @ Shunoo."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3631(अ).— विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, 'बिलाल अहमद मीर' उर्फ़ 'अहमद भाई' पुत्र मोहम्मद हम्जा मीर, उम्र 27 वर्ष (लगभग), जिसका पता गिरपोरा, बराठ कलां, सोपोर, जम्मू और कश्मीर में है तथा वर्तमान में मुजफ्फराबाद, पकिस्तान अधिकृत कश्मीर में निवास कर रहा है, लश्कर-ए-तैयबा तथा द रेजिस्टेंस फ्रंट से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त 'बिलाल अहमद मीर' उर्फ़ 'अहमद भाई' देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वयित करने के आशय से, देश में हथियार एवं गोल बारूद की आपूर्ति करने तथा सीमा पार से आतंकी क्रियाकलापों को अंजाम देने के षड्यन्त्र में संलिप्त है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'बिलाल अहमद मीर' उर्फ़ 'अहमद भाई' आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त 'बिलाल अहमद मीर' उर्फ़ 'अहमद भाई' को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"66. बिलाल अहमद मीर उर्फ़ अहमद भाई"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3631(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Bilal Ahmad Mir @ Ahmad Bhai s/o Mohd. Hamza Mir, 27 years of age (approx.), having residence at Mirpora, Brath Kalan, Sopore, Jammu and Kashmir and presently residing at Muzaffarabad, Pakistan Occupied Kashmir, belongs to Lashkar-e-Taiba and and The Resistance Front and which are listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Bilal Ahmad Mir @ Ahmad Bhai, is involved in a conspiracy to carry out terrorist activities from across the border, supply arms and ammunition in the country with the intention of carrying out terrorist activities in the country;

And, whereas, the Central Government believes that Bilal Ahmad Mir @ Ahmad Bhai is involved in terrorism and the said Bilal Ahmad Mir @ Ahmad Bhai is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 65 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"66. Bilal Ahmad Mir @ Ahmad Bhai."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3632(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, आबिद कयूम लोन पुत्र अब्दुल कयूम लोन, उम्र 27 वर्ष (लगभग) जिसका पता वुसन खोई, तहसील पट्टन, जिला बारामूला, जम्मू और कश्मीर है तथा वर्तमान में पकिस्तान अधिकृत कश्मीर में निवास कर रहा है, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त आबिद कयूम लोन देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, आतंकी क्रियाकलापों की योजना और समन्वय करने, निधि संगृहित करने तथा आतंकी लॉजिस्टिक्स मुहैया करने में संलिप्त है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि आबिद कयूम लोन आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त आबिद कयूम लोन को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 66 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"67. आबिद कयूम लोन"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3632(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Abid Quyoom Lone s/o Abdul Qayoom Lone, 27 years of age (approx.) having residence at Wussan Khoi, Tehsil Pattan, District- Baramulla, Jammu and Kashmir and presently residing at Pakistan occupied Kashmir, belongs to Lashkar-e-Taiba and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Abid Qayoom Lone is involved in planning and coordinating terrorist activities, collecting funds and providing terrorist logistics with the intention of carrying out terrorist activities in the country;

And, whereas, the Central Government believes that Abid Qayoom Lone is involved in terrorism and the said Abid Qayoom Lone is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 66 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"67. Abid Quyoom Lone."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3633(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, नजीर अहमद गुज्जर उर्फ़ मुनाज़िल पुत्र लाल दीन, उम्र 38 वर्ष (लगभग) जिसका पता ग्राम गुज्जर बस्ती, तहसील-बागला भारथ, पीएस/ जिला डोडा, जम्मू और कश्मीर है तथा वर्तमान में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में निवास कर रहा है, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त नजीर अहमद गुज्जर उर्फ़ मुनाज़िल देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, ड्रोन का उपयोग करके हथियारों और गोला-बारूदों की खेप भेजने में संलिप्त रहा है तथा युवाओं को लश्कर-ए- तैयबा में भर्ती होने को प्रेरित करता रहा है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि नजीर अहमद गुज्जर उर्फ़ मुनाज़िल आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त नजीर अहमद गुज्जर उर्फ़ मुनाज़िल को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्त: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"68. नजीर अहमद गुज्जर उर्फ़ मुनाज़िल"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3633(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Nazir Ahmed Gujjar @ Munazil s/o Lal Din, 38 years of age (approx.) having residence at Village Gujjar Basti, Tehsil-Bagla Bharath, PS/District Doda, Jammu and Kashmir and presently residing at Islamabad, Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Nazir Ahmad Gujjar alias Munazil has remained indulged in sending arms and ammunition consignments using drones and instigating the youth to join Lashkar-e-Taiba with the intention of carrying out terrorist activities in the country;

And, whereas, the Central Government believes that Nazir Ahmed Gujjar @ Munazil is involved in terrorism and the said Nazir Ahmed Gujjar @ Munazil is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 67 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"68. Nazir Ahmed Gujjar @ Munazil."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3634(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, अब्दुल रऊफ उर्फ़ हाफिज अब्दुल रऊफ उर्फ़ हाफिज अब्दुल रौफ उर्फ़ हाफिज अब्दुर रौफ पुत्र अख्तर हुसैन, उम्र 52 वर्ष (लगभग) जिसका पता कमरा सं. 7, 4 लेक रोड, चोबुर्जी, लाहौर, पाकिस्तान है, लश्कर-ए-तैयबा तथा जमात-उद-दावा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त अब्दुल रऊफ उर्फ़ हाफिज अब्दुल रऊफ उर्फ़ हाफिज अब्दुल रौफ उर्फ़ हाफिज अब्दुर रौफ देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वियत करने के आशय से, आतंकी क्रियाकलापों की योजना और समन्वय करने, निधि संगृहित करने में संलिप्त है तथा आतंकी हाफ़िज़ मोहम्मद सईद के सीधी कमान के अधीन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक मुख्य आतंकी है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अब्दुल रऊफ उर्फ़ हाफिज अब्दुल रऊफ उर्फ़ हाफिज अब्दुल रौफ उर्फ़ हाफिज अब्दुर रौफ आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त अब्दुल रऊफ उर्फ़ हाफिज अब्दुल रऊफ उर्फ़ हाफिज अब्दुल रौफ उर्फ़ हाफिज अब्दुर रौफ को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 68 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"69. अब्दुल रऊफ उर्फ़ हाफिज अब्दुल रऊफ उर्फ़ हाफिज अब्दुल रौफ उर्फ़ हाफिज अब्दुर रौफ"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3634(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Abdul Rauf @ Hafiz Adbul Rauf @ Hafiz Abdul Raouf @ Hafiz Abdur Rauf s/o Akhtar Hussain, 52 years of age (approx.) having residence at Room No. 7, 4 Lake Road, Choburji, Lahore, Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and Jamaat-ud-Dawa and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Abdul Rauf @ Hafiz Adbul Rauf @ Hafiz Abdul Raouf @ Hafiz Abdur Rauf is involved in planning and coordinating terrorist activities, collecting funds with the intention of carrying out terrorist activities in the country and is one of the main terrorists in the terrorist organisation Lashkar-e-Taiba under the direct command of Hafiz Mohammad Sayeed;

And, whereas, the Central Government believes that Abdul Rauf @ Hafiz Adbul Rauf @ Hafiz Abdul Raouf @ Hafiz Abdur Rauf is involved in terrorism and the said Abdul Rauf @ Hafiz Adbul Rauf @ Hafiz Abdul Raouf @ Hafiz Abdur Rauf is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 68 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"69. Abdul Rauf @ Hafiz Adbul Rauf @ Hafiz Abdul Raouf @ Hafiz Abdur Rauf."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3635(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, अशफाक अहमद @ इशफाक अहमद पुत्र मुश्ताक अहमद, उम्र 52 वर्ष (लगभग) जिसका स्थायी पता चक नं. 81/5-आर, तहसील/ डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, पाकिस्तान है तथा वर्तमान में मदरसा तलीम-उल-कुरान, रेलवे रोड बहावलपुर, पाकिस्तान में निवास कर रहा है, जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त अशफाक अहमद @ इशफाक अहमद देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वियित करने के आशय से तकनीकी सहायता प्रदान करने में संलिप्त है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अशफाक अहमद @ इशफाक अहमद आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त अशफाक अहमद @ इशफाक अहमद को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्त: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"70. अशफाक अहमद @ इशफाक अहमद"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3635(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Ashfaq Ahmad @ Ishfaq Ahmad s/o Mushtaq Ahmad, 52 years of age (approx.) having permanent residence at Chak No. 81/5-R, Tehsil and District Sahiwal, Pakistan and presently residing at Madrasa Taleem-ul-Quran, Railway Raod, Bahawalpur, Pakistan, belongs to Jaish-e-Mohammed and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And, whereas, the said Ashfaq Ahmed @ Ishfaq Ahmed, is involved in providing technical assistance and collecting funds with the intention to carry out terrorist activities in the country;

And, whereas, the Central Government believes that Ashfaq Ahmad @ Ishfaq Ahmad is involved in terrorism and the said Ashfaq Ahmad @ Ishfaq Ahmad is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 69 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"70. Ashfaq Ahmad @ Ishfaq Ahmad."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3636(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, हाफिज खालिद वालीद उर्फ़ हाफिज खालिद नाइक उर्फ़ खालिद वालिद पुत्र नाईक मुहम्मद, उम्र 51 वर्ष (लगभग) जिसका स्थायी पता 62, रचना ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, गुलशन-ए-इक़बाल पार्क के सामने, लाहौर, पाकिस्तान है तथा वर्तमान में 116-ई, जोहर टाउन, लाहौर, पाकिस्तान में निवास कर रहा है, लश्कर-ए- तैयबा तथा जमात-उद- दावा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त हाफिज खालिद वालीद उर्फ़ हाफिज खालिद नाइक उर्फ़ खालिद वालिद देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, हाफ़िज़ मोहम्मद सईद के संरक्षण में काम करता है तथा देश में हुए कई आतंकी घटनाओं का सूत्रधार है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि हाफिज खालिद वालीद उर्फ़ हाफिज खालिद नाइक उर्फ़ खालिद वालिद आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त हाफिज खालिद वालीद उर्फ़ हाफिज खालिद नाइक उर्फ़ खालिद वालिद को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्त: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"71. हाफिज खालिद वालीद उर्फ़ हाफिज खालिद नाइक उर्फ़ खालिद वालिद"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3636(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Hafiz Khalid Waleed @ Hafiz Khalid Naik @ Khalid Walid s/o Naik Muhammad, 51 years of age (approx.) having permanent residence at 62, Rachna Block, Allama Iqbal town, opposite Gulshan-e-Iqbal Park, Lahore, Pakistan and presently residing at 116-E, Johar Town, Lahore, Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and Jamaat-ud-Dawa and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Hafiz Khalid Waleed @ Hafiz Khalid Naik @ Khalid Walid works under the protection of Hafiz Mohammad Sayeed with the intention of carrying out terrorist activities and is the mastermind of several terrorist incidents in the country;

And, whereas, the Central Government believes that Hafiz Khalid Waleed @ Hafiz Khalid Naik @ Khalid Walid is involved in terrorism and the said Hafiz Khalid Waleed @ Hafiz Khalid Naik @ Khalid Walid is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 70 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"71. Hafiz Khalid Waleed @ Hafiz Khalid Naik @ Khalid Walid."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3637(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की उर्फ़ मौलाना इमदाद उर्फ़ इमदाद भाई उर्फ़ मौलाना इमददुल्लाह पुत्र मोलवी मुहम्मद उबैद उल्लाह, उम्र 46 वर्ष (लगभग) जिसका स्थायी पता ख्वाजगन, नूरपुर, पोस्ट ऑफिस नौरंगा, तहसील और जिला बहावलपुर, पाकिस्तान है तथा वर्तमान में कौसर कालोनी, मदरसा उस्मान-ओ-अली बहावलपुर के पीछे, पुलिस थाना मुसाफिर खाना, बहावलपुर, पाकिस्तान में निवास कर रहा है, जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की उर्फ़ मौलाना इमदाद उर्फ़ इमदाद भाई उर्फ़ मौलाना इमददुल्लाह देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वयित करने के आशय से, कई आतंकी क्रियाकलापों का समन्वयक है और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कई गुटों का अमीर/ प्रमुख है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की उर्फ़ मौलाना इमदाद उर्फ़ इमदाद भाई उर्फ़ मौलाना इमददुल्लाह आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की उर्फ़ मौलाना इमदाद उर्फ़ इमदाद भाई उर्फ़ मौलाना इमददुल्लाह को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"72. मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की उर्फ़ मौलाना इमदाद उर्फ़ इमदाद भाई उर्फ़ मौलाना इमददुल्लाह"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3637(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Maulana Imdad Ullah Makki @ Maulana Imdad @ Imdad Bhai @ Maulana Imdadullah s/o Molvi Muhammad Ubaid Ullah, 46 years of age (approx.) having permanent residence at Khwajgan, Noorpur, Nauranga PO, Tehsil and District Bahawalpur, Pakistan and presently residing at Kausar Colony, Behind Madrassa Usman-o-Ali, Bahawalpur, PS Musafir Khana, Bahawalpur, Pakistan, belongs to Jaish-E-Mohammed and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And, whereas, the said Maulana Imdad Ullah Makki @ Maulana Imdad @ Imdad Bhai @ Maulana Imdadullah is the coordinator of several terrorist activities with the intention of carrying out terrorist activities in the country and is the Amir/Head of several factions of Jaish-e-Mohammad;

And, whereas, the Central Government believes that Maulana Imdad Ullah Makki @ Maulana Imdad @ Imdad Bhai @ Maulana Imdadullah is involved in terrorism and the said Maulana Imdad Ullah Makki @ Maulana Imdad @ Imdad Bhai @ Maulana Imdadullah is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 71 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"72. Maulana Imdad Ullah Makki @ Maulana Imdad @ Imdad Bhai @ Maulana Imdadullah."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3638(अ).— विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, मौलाना सैफुल्लाह खालिद उर्फ़ वलियुल उर्फ़ मोहम्मद सलीम उर्फ़ वाजिद, उम्र 57 वर्ष (लगभग) जिसके पते कसूर, पंजाब, पाकिस्तान तथा जामिया मंज़रुल इस्लामिया इदगाह, लाहौर कैंट, पाकिस्तान तथा जामिया मस्जिद अल कडसिया, 4 झील चौबुर्जी, लाहौर, पाकिस्तान हैं, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त मौलाना सैफुल्लाह खालिद उर्फ़ वलियुल उर्फ़ मोहम्मद सलीम उर्फ़ वाजिद देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से व्यापक रूप से सक्रिय है तथा जमात-उद-दावा के कई गुटों में सक्रिय है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मौलाना सैफुल्लाह खालिद उर्फ़ वलियुल उर्फ़ मोहम्मद सलीम उर्फ़ वाजिद आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त मौलाना सैफुल्लाह खालिद उर्फ़ वलियुल उर्फ़ मोहम्मद सलीम उर्फ़ वाजिद को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 72 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"73. मौलाना सैफुल्लाह खालिद उर्फ़ वलियुल उर्फ़ मोहम्मद सलीम उर्फ़ वाजिद"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3638(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Maulana Saifullah Khalid @ Waliyul @ Mohd. Salim @ Wajid, 57 years of age (approx.) having addresses at Kasur, Punjab, Pakistan and Jamia Manzarul Islamia Idgah, Lahore Cantt. Pakistan and Jamia Masjid Al Qadsia, 4 Lake Chowburji, Lahore, Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Maulana Saifullah Khalid @ Waliyul @ Mohd. Salim @ Wajid is widely active with the intention of carrying out terrorist activities in the country and is very active in several factions of the Jamaat-ud-Dawa;

And, whereas, the Central Government believes that Maulana Saifullah Khalid @ Waliyul @ Mohd. Salim @ Wajid is involved in terrorism and the said Maulana Saifullah Khalid @ Waliyul @ Mohd. Salim @ Wajid is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 72 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"73. Maulana Saifullah Khalid @ Waliyul @ Mohd. Salim @ Wajid."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3639(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, मोहम्मद याकूब उर्फ़ अबू सुमामा उर्फ़ समामा इल्यास उर्फ़ वारिस अली, उम्र 51 वर्ष (लगभग) जिसका पता जल्ला अरेन, बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान है, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त मोहम्मद याकूब उर्फ़ अबू सुमामा उर्फ़ समामा इल्यास उर्फ़ वारिस अली देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, आतंकियों को संचार तंत्र तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा लश्कर-ए-तैयबा सदस्यों के साथ समन्वय करता है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मोहम्मद याकूब उर्फ़ अबू सुमामा उर्फ़ समामा इल्यास उर्फ़ वारिस अली आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त मोहम्मद याकूब उर्फ़ अबू सुमामा उर्फ़ समामा इल्यास उर्फ़ वारिस अली को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"74. मोहम्मद याकूब उर्फ़ अबू सुमामा उर्फ़ समामा इल्यास उर्फ़ वारिस अली"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3639(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Mohammad Yaqoob @ Abu Sumama @ Samama Ilyas @ Waris Ali, 51 years of age (approx.) having residence at Jalla Arain, Bahawalpur, Pinjab, Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Mohammad Yaqoob @ Abu Sumama @ Samama Ilyas @ Waris Ali, with the intention of carrying out terrorist activities in the country, provides logistics and financial assistance to the terrorists and coordinates with the cadres of Lashkar-e-Taiba;

And, whereas, the Central Government believes that Mohammad Yaqoob @ Abu Sumama @ Samama Ilyas @ Waris Ali is involved in terrorism and the said Mohammad Yaqoob @ Abu Sumama @ Samama Ilyas @ Waris Ali is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 73 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"74. Mohammad Yaqoob @ Abu Sumama @ Samama Ilyas @ Waris Ali."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3640(अ).— विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, मौलाना यूसुफ ताईबी उर्फ़ मोहम्मद यूसुफ पुत्र मोहम्मद रफीक, उम्र 56 वर्ष (लगभग) जिसका स्थाई पता मकान सं. 559/47 मोहल्ला मनावाला, फैसलाबाद, पाकिस्तान है तथा वर्तमान में फैसलाबाद, पाकिस्तान में निवास कर रहा है, लश्कर-ए-तैयबा तथा जमात-उद-दावा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त मौलाना यूसुफ ताईबी उर्फ़ मोहम्मद यूसुफ देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, कई आतंकी कृत्यों के षडयंत्र में संलिप्त रहा है और लश्कर-ए-तैयबा / जमात-उद-दावा के कई गुटों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है मौलाना यूसुफ ताईबी उर्फ़ मोहम्मद यूसुफ आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त मौलाना यूसुफ ताईबी उर्फ़ मोहम्मद यूसुफ को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्त: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"75 . मौलाना यूसुफ ताईबी उर्फ़ मोहम्मद यूसुफ"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3640(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Molana Yousaf Taibi @ Mohammad Yousaf s/o Mohammad Rafiq, 56 years of age (approx.) having permanent residence at H.No. 559/47 Mohallah Manawala, Faisalabad, Pakistan and presently residing at Faisalabad, Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and Jamaat-ud-Dawa and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Molana Yousaf Taibi @ Mohammad Yousaf has been involved in the conspiracy of several terrorist acts with the intention of carrying out terrorist activities in the country and is actively associated with several factions of Lashkar-e-Taiba / Jamaat-ud-Dawa;

And, whereas, the Central Government believes that Molana Yousaf Taibi @ Mohammad Yousaf is involved in terrorism and the said Molana Yousaf Taibi @ Mohammad Yousaf is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 74 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"75. Molana Yousaf Taibi @ Mohammad Yousaf."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3641(अ).— विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, ओवैस फारूज़ उर्फ़ ओवैस अहमद मीर उर्फ़ ओवैस फारूज़ मीर पुत्र फिरोज़ अहमद मीर, उम्र 27 वर्ष (लगभग) जिसका स्थाई पता फ्रेसताबल, पम्पोर, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर है तथा वर्तमान में पाकिस्तान में निवास कर रहा है, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त ओवैस फारूज़ उर्फ़ ओवैस अहमद मीर उर्फ़ ओवैस फारूज़ मीर देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, आयुध और गोल बारूद उपलब्ध कराने में संलिप्त है तथा लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है ओवैस फारूज़ उर्फ़ ओवैस अहमद मीर उर्फ़ ओवैस फारूज़ मीर आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त ओवैस फारूज़ उर्फ़ ओवैस अहमद मीर उर्फ़ ओवैस फारूज़ मीर को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"76. ओवैस फारूज़ उर्फ़ ओवैस अहमद मीर उर्फ़ ओवैस फारूज़ मीर"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3641(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Owais Farooz @ Owais Ahmad Mir @ Owais Farooz Mir s/o Feroz Ahmad Mir, 27 years of age (approx.) having permanent residence at Frestbal, Pampore, Pulwama, Jammu and Kashmir and presently residing in Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Owais Farooz @ Owais Ahmad Mir @ Owais Farooz Mir is involved in providing, arms and ammunition with the intention of carrying out terrorist activities in the country and is an active member of the Lashkar-e-Taiba;

And, whereas, the Central Government believes that Owais Farooz @ Owais Ahmad Mir @ Owais Farooz Mir is involved in terrorism and the said Owais Farooz @ Owais Ahmad Mir @ Owais Farooz Mir is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 75 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"76. Owais Farooz @ Owais Ahmad Mir @ Owais Farooz Mir."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3642(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, क़ारी याक़ूब शेख उर्फ़ क़ारी मोहम्मद याक़ूब शेख उर्फ़ याक़ूब शेख उर्फ़ क़ारी शेख मुहम्मद याक़ूब उर्फ़ मोहम्मद याक़ूब पुत्र मुहम्मद इस्माइल शेख, उम्र 53 वर्ष (लगभग) जिसका स्थाई पता कटरा अहमद खान, राशिद शहीद रोड, अहमद पुर, शारदाह, बहावलपुर, पाकिस्तान है तथा वर्तमान में जोहर टाउन, लाहौर, पाकिस्तान तथा 4 लेक रोड चौबुर्जी, लाहौर, पाकिस्तान में निवास कर रहा है, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त क़ारी याक़ूब शेख उर्फ़ क़ारी मोहम्मद याक़ूब शेख उर्फ़ याक़ूब शेख उर्फ़ क़ारी शेख मुहम्मद याक़ूब उर्फ़ मोहम्मद याक़ूब देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, देश विरोधी कार्यों/ रैलियों में संलिप्त रहा है तथा लश्कर-ए-तैयबा के विभिन्न गुटों के साथ सम्मिलित है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है क़ारी याक़ूब शेख उर्फ़ क़ारी मोहम्मद याक़ूब शेख उर्फ़ याक़ूब शेख उर्फ़ क़ारी शेख मुहम्मद याक़ूब उर्फ़ मोहम्मद याक़ूब आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त क़ारी याक़ूब शेख उर्फ़ क़ारी मोहम्मद याक़ूब शेख उर्फ़ याक़ूब शेख उर्फ़ क़ारी शेख मुहम्मद याक़ूब उर्फ़ मोहम्मद याक़ूब को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 76 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"77. क़ारी याक़ूब शेख उर्फ़ क़ारी मोहम्मद याक़ूब शेख उर्फ़ याक़ूब शेख उर्फ़ क़ारी शेख मुहम्मद याक़ूब उर्फ़ मोहम्मद याक़ूब"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3642(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Qari Yaqub Sheikh @ Qari Mohammed Yaqub Sheikh @ Yaqoob Sheikh @ Qari Shaikh Muhammad Yaqoob @ Mohammad Yaqoob s/o Muhammad Ismail Sheikh, 53 years of age (approx.) having permanent residence at Katrah Ahmad Khan, Rashid Shaheed Road, Ahmed Pur, Shardah, Bahawalpur, Pakistan, and presently residing at Johar Town, Lahore Pakistan and 4 Lake Road, Chowburji, Lahore Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Qari Yaqub Sheikh @ Qari Mohammed Yaqub Sheikh @ Yaqoob Sheikh @ Qari Shaikh Muhammad Yaqoob @ Mohammad Yaqoob has remain indulged in anti-national activities/rallies with the intention of carrying out terrorist activities in the country and has remained associated with various factions of the Lashkar-e-Taiba;

And, whereas, the Central Government believes that Qari Yaqub Sheikh @ Qari Mohammed Yaqub Sheikh @ Yaqoob Sheikh @ Qari Shaikh Muhammad Yaqoob @ Mohammad Yaqoob is involved in terrorism and the said Qari Yaqub Sheikh @ Qari Mohammed Yaqub Sheikh @ Yaqoob Sheikh @ Qari Shaikh Muhammad Yaqoob @ Mohammad Yaqoob is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 76 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"77. Qari Yaqub Sheikh @ Qari Mohammed Yaqub Sheikh @ Yaqoob Sheikh @ Qari Shaikh Muhammad Yaqoob @ Mohammad Yaqoob."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3643(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, राणा इफ्तिखार उर्फ़ राणा वलीद आतिफ उर्फ़ राणा इफ्तिखार हैदर उर्फ़ राणा इफ्तिखार अहमद उर्फ़ हैदर खान पुत्र रमज़ान राणा मुहम्मद, उम्र 54 वर्ष (लगभग) जिसका स्थाई पता गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान है तथा वर्तमान में पेशावर, पाकिस्तान में निवास कर रहा है, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त राणा इफ्तिखार उर्फ़ राणा वलीद आतिफ उर्फ़ राणा इफ्तिखार हैदर उर्फ़ राणा इफ्तिखार अहमद उर्फ़ हैदर खान देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, देश विरोधी जेहादी संगठनों के बीच समन्वय करता है, युवाओं को आतंकी क्रियाकलाप करने को प्रेरित करता है तथा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाफ़िज़ सईद का निकट सहयोगी है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है राणा इफ्तिखार उर्फ़ राणा वलीद आतिफ उर्फ़ राणा इफ्तिखार हैदर उर्फ़ राणा इफ्तिखार अहमद उर्फ़ हैदर खान आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त राणा इफ्तिखार उर्फ़ राणा वलीद आतिफ उर्फ़ राणा इफ्तिखार हैदर उर्फ़ राणा इफ्तिखार अहमद उर्फ़ हैदर खान को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 77 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्त: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"78. राणा इफ्तिखार उर्फ़ राणा वलीद आतिफ उर्फ़ राणा इफ्तिखार हैदर उर्फ़ राणा इफ्तिखार अहमद उर्फ़ हैदर खान"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3643(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Rana Iftikhar @ Rana Waleed Atif @ Rana Iftikhar Hyderi @ Rana Iftikhar Ahmad @ Hydeer Khan s/o Ramzan Rana Muhammad, 54 years of age (approx.) having permanent residence at Gujranwala, Punjab, Pakistan and presently residing in Peshawar, Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the said Rana Iftikhar @ Rana Waleed Atif @ Rana Iftikhar Hyderi @ Rana Iftikhar Ahmad @ Hydeer Khan with the intention of carrying out terrorist activities in the country, coordinates among the anti-Jihadi organisations, motivates the youths to carry out terrorist activities and is a close associate of Lashkar-e-Taiba terrorist Hafeez Saeed;

And, whereas, the Central Government believes that Rana Iftikhar @ Rana Waleed Atif @ Rana Iftikhar Hyderi @ Rana Iftikhar Ahmad @ Hydeer Khan is involved in terrorism and the said Rana Iftikhar @ Rana Waleed Atif @ Rana Iftikhar Hyderi @ Rana Iftikhar Ahmad @ Hydeer Khan is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 77 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"78. Rana Iftikhar @ Rana Waleed Atif @ Rana Iftikhar Hyderi @ Rana Iftikhar Ahmad @ Hydeer Khan."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3644(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, वसीम नूर जाट उर्फ़ क़ारी वसीम पुत्र नूर मोहम्मद जाट, उम्र 44 वर्ष (लगभग) जिसका स्थाई पता झंग, पंजाब, पाकिस्तान है, जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त वसीम नूर जाट उर्फ़ क़ारी वसीम देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, देश में ड्रोन से आयुध और गोला-बारूद पहुंचाने तथा कई आतंकी घटनाओं के योजना में संलिप्त रहा है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है वसीम नूर जाट उर्फ़ क़ारी वसीम आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त वसीम नूर जाट उर्फ़ क़ारी वसीम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"79. वसीम नूर जाट उर्फ़ क़ारी वसीम"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3644(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Waseem Noor Jat @ Qari Waseem s/o Noor Mohd. Jat, 44 years of age (approx.) having residence at Jhang, Punjab, Pakistan, belongs to Jaish--Mohammed and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And, whereas, the said Waseem Noor Jat @ Qari Waseem, with the intention of carrying out terrorist activities in the country, has remained involved in delivering drones, arms and ammunition in the country and planning of several terrorist incidents;

And, whereas, the Central Government believes that Waseem Noor Jat @ Qari Waseem is involved in terrorism and the said Waseem Noor Jat @ Qari Waseem is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 78 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"79. Waseem Noor Jat @ Qari Waseem."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3645(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त रहा है;

और, मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ़ उस्ताद उर्फ़ मुहांदीस उर्फ़ ज़ाकिर पुत्र मोहम्मद मूसा, उम्र 40 वर्ष (लगभग) जिसका स्थाई पता नंबर 9, दूसरा क्रॉस, मॉडल कॉलोनी, यशवंतपुर, बैंगलोर, कर्नाटक, भारत है तथा वर्तमान में रावलपिंडी, पाकिस्तान में निवासरत है, लश्कर-ए-तैयबा तथा जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखता है और जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्यांक 5 तथा 6 के अधीन आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध हैं;

और, उक्त मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ़ उस्ताद उर्फ़ मुहांदीस उर्फ़ ज़ाकिर लश्कर-ए-तैयबा (LeT), अल-कायदा और ISIS मॉड्यूल से जुड़ा है। मोहम्मद शहीद फैसल सोशल मीडिया के ज़रिए युवाओं को भर्ती करता है, पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है और आतंकी क्रियाकलापों के लिए निधि जुटाता है और उक्त मोहम्मद शहीद फैसल विधि प्रवर्तन अभिकरणों से बचने के लिए डेटा एन्क्रिप्शन और नकली पहचान के उपयोग के प्रशिक्षण में सम्मिलित रहा है। देश में आतंकी क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के आशय से, वह आयुध एवं गोल-बारूद पहुँचाने में संलिप्त रहा है तथा कई आतंकी घटनाओं में संबंधित षडयंत्र में सम्मिलित रहा है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ़ उस्ताद उर्फ़ मुहांदीस उर्फ़ ज़ाकिर आतंकवाद में संलिप्त है और उक्त मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ़ उस्ताद उर्फ़ मुहांदीस उर्फ़ ज़ाकिर को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"80. मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ़ उस्ताद उर्फ़ मुहांदीस उर्फ़ ज़ाकिर"।

[फा. सं. 11034/11/2025-सी.टी.-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3645(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that individual is involved in terrorism;

And, whereas, Mohammed Shaheed Faisal @ Ustad @ Muhandis @ Zakir s/o Mohammed Musa, 40 years of age (approx.) having residence at No. 9, 2nd Cross, Model Colony, Yeshwanthapur, Bangalore, Karnataka, India and presently residing at Rawalpindi, Pakistan, belongs to Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed and which are listed as terrorist organisations under the First Schedule to the said Act at serial number 5 and 6 respectively;

And, whereas, the said Mohammed Shaheed Faisal @ Ustad @ Muhandis @ Zakir is linked to Lashkar-e-Taiba (LeT), Al-Qaeda, and ISIS modules. Faisal recruits youths via social media, arranges for weapons training in Pakistan, and raises funds for terrorist activities and the said Mohammad Shahid Faisal has remained in imparting training in the use of data encryption and fake identities to evade law enforcement agencies. With the intent of carrying out terrorist activities in the country, he has remained involved in the delivery of weapons and ammunition and conspiracies related to several terrorist incidents;

And, whereas, the Central Government believes that Mohammed Shaheed Faisal @ Ustad @ Muhandis @ Zakir is involved in terrorism and the said Mohammed Shaheed Faisal @ Ustad @ Muhandis @ Zakir is to be designated as a terrorist in the Fourth Schedule of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 79 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"80. Mohammed Shaheed Faisal @ Ustad @ Muhandis @ Zakir."

[F. No. 11034/11/2025-CT-I]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.